

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०-हिन्नु रांची।

रांची, दिनांक- 28/07/26

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में Animal Birth Control (ABC) Programme के प्रभावी क्रियान्वयन, आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन, नसबंदी, Anti-Rabies Vaccination, Rabies नियंत्रण एवं जन-सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 10 Animal Birth Control (ABC) Centres के निर्माण के लिए ₹21,06,25,000/- (रुपये इक्कीस करोड़ छह लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

आदेश:- Animal Birth Control Rules, 2023 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों का यह वैधानिक दायित्व है कि शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का वैज्ञानिक, मानवीय एवं विधिसम्मत प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों में राज्य सरकारों एवं शहरी स्थानीय निकायों को Animal Birth Control Programme का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आवश्यक आधारभूत संरचना (ABC Centres) स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, रेबीज संक्रमण की रोकथाम, नागरिकों की सुरक्षा, पशु कल्याण एवं जनस्वास्थ्य की दृष्टि से राज्य में आधुनिक एवं मानक अनुरूप Animal Birth Control Centres की स्थापना अत्यंत आवश्यक है।

विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2026 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में इस योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः, उपर्युक्त तथ्यों एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु झारखण्ड राज्य के निम्नलिखित नगर निकायों में 10 Animal Birth Control (ABC) Centres के निर्माण के लिए कुल ₹21,06,25,000/- (रुपये इक्कीस करोड़ छह लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

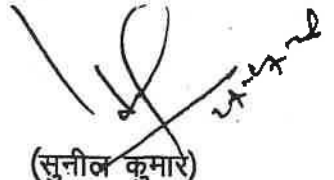
(राशि रुपये में)

क्र०सं०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार/उप०को० का नाम
I	II	III	IV	V
1.	आदित्यपुर नगर निगम	2,10,62,500	नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी	सरायकेला
2.	जमशेदपुर अ०क्ष०स०	2,10,62,500		जमशेदपुर
3.	मानगो नगर निगम	2,10,62,500		जमशेदपुर
4.	राँची नगर निगम	2,10,62,500		राँची
5.	चास नगर निगम	2,10,62,500		बोकारो
6.	देवघर नगर निगम	2,10,62,500		देवघर
7.	धनबाद नगर निगम	2,10,62,500		धनबाद
8.	गिरीडीह नगर निगम	2,10,62,500		गिरीडीह
9.	हजारीबाग नगर निगम	2,10,62,500		हजारीबाग
10.	मेदिनीनगर नगर निगम	2,10,62,500		पलामू
कुल		₹21,06,25,000/- (रुपये इक्कीस करोड़ छः लाख पच्चीस हजार मात्र)		

2. स्वीकृत राशि की निकासी बजट शीर्ष, मुख्य शीर्ष : 2217 - शहरी विकास उप मुख्य शीर्ष : 80 - सामान्य लघु शीर्ष : 789/191/796 (SCSP / OSP / TSP) उप शीर्ष : 34 शहरी स्थानीय निकायों के नागरिक सुरक्षा सुविधा हेतु सहायता अनुदान उप योजना शीर्ष : 01 - Urban Civic Amenities विस्तृत शीर्ष : 06 - Grant-in-Aid - 79 - सहायता अनुदान (गैर वेतन) विपत्र कोड-48-S-2217-80-796-34-01-06-79/48-S-2217-80-191-34-01-06-79/48-S-2217-80-789-34-01-06-79 से की जाएगी।

- 48
28/07/26
3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कंडिका-1 की सारणी के स्तम्भ-IV में अंकित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तम्भ-V, में अंकित कोषागारों से की जायेगी।
4. ABC Centres के निर्माण हेतु कंडिका-1 की सारणी के स्तम्भ-II में उल्लेखित नगर निकाय इस योजना के Implementing Agency होंगे। संबंधित नगर निकाय अपने क्षेत्राधिकार में ABC Centre के निर्माण, अनुश्रवण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा समयबद्ध पूर्णता हेतु उत्तरदायी होंगे।
- 4.1. संबंधित नगर निकाय स्वीकृत मॉडल प्राक्कलन, स्वीकृत स्थल, तकनीकी मानकों, प्रचलित वित्तीय नियमों एवं विभागीय/नगरीय प्रशासन निदेशालय दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 4.2. निर्माण कार्य की समस्त प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय जिम्मेदारी संबंधित नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।
5. निर्माण कार्य Jharkhand Procurement Rules, Jharkhand Financial Rules, PWD Code एवं अन्य प्रचलित नियमों के अनुरूप खुली निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
6. निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना संबंधित नगर निकाय की जिम्मेदारी होगी।
7. चूंकि यह योजना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, Animal Birth Control Rules, 2023 तथा जन-सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए संबंधित नगर निकाय कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 06 (छः) माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 7.1. Tender Document में Completion Period अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
8. स्वीकृत राशि संबंधित नगर निकायों को निम्नानुसार तीन किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी—
- (i) प्रथम किश्त - संबंधित नगर निकाय द्वारा भूमि उपलब्धता, आवश्यक स्वीकृतियों एवं आधारभूत विवरण उपलब्ध कराने के उपरांत कुल स्वीकृत राशि का 30 प्रतिशत।
- (ii) द्वितीय किश्त - प्रथम किश्त की 75 प्रतिशत राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) प्राप्त होने पर कुल स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत।
- (iii) तृतीय किश्त - निर्माण कार्य पूर्ण होने, भौतिक सत्यापन एवं संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत शेष 20 प्रतिशत राशि।
9. योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा की जायेगी। निदेशालय द्वारा योजना की नियमित समीक्षा, नगर निकायों के मध्य समन्वय, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अनुश्रवण, समयबद्ध निर्माण कार्य की सुनिश्चितता तथा ABC केन्द्रों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।
10. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कंडिका-5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के अनुरूप कोषागार से प्रस्तुत किया जायेगा।
11. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. संबंधित नगर निकायों द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं को अनुपालन करते हुए आहरित राशि को नगरपालिका की लेखा में सम्मिलित करने के पश्चात् नियमानुसार व्यय किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि का उपयोग केवल ABC Centre के निर्माण हेतु किया जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु राशि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग अधिसूचना संख्या 1269 दिनांक-21.09.2023 के आलोक में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।



(सुनील कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-02/न०प्र०नि०/ABC Centre -Establishment & Compliance-Urban Area / 15 / 2025⁴⁸ दिनांक-28/07/26

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आस सचिव/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित प्रसंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्वोमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अभिषेक कुमार राम, प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/श्री कुणाल विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव।